[illegible] मास्टर जनरल डाक
[illegible], के पत्र क्रमांक 22/153,
[illegible]नांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
[illegible]जनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
[illegible]क द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

[illegible]क 110] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मार्च 2008—फाल्गुन 27, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37-05-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग [illegible] हुए, [illegible] मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 5 में,—

(एक) [illegible] में, शब्द [illegible] के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह कार्य दिवस" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:—

[illegible] आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अधीन चाही गई सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :—

(एक) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध है, तब सूचना ऐसे प्ररूप में, जिसमें वह मांगी गई है, उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते सूचना उस प्ररूप में उपलब्ध हो, तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिये अहितकर न हो सकेगी;

(दो) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है, किन्तु सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) तक सीमित है, तब चाही गई सूचना की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई जाऐंगी बशर्ते की वह प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिए अहितकर न हो;

(तीन) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है तथा सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) से अधिक की है, तब अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदक से कार्यालय में अभिलेख नस्ती का निरीक्षण करने के लिए कहा जायेगा तथा सूचना को सीमित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा.

(6) यदि आवेदक, विभागों द्वारा प्रकाशित की गई मुद्रित रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री चाहता है, तो वह ऐसे प्रकाशनों के लिए नियत कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेगी. नियम 5 के उपनियम (1) में नियत की गई दरों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों से उद्धरण उपलब्ध कराये जा सकेंगे.

(7) यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदक, ऐसी सूचना मांगता है, जहां किसी अन्य अधिनियम/नियम में ऐसी सूचना के लिए पृथक् फीस का उपबंध है, वहां आवेदक को तत्स्थानी अधिनियम/नियम के अधीन यथा-उपबंधित ऐसी फीस का भुगतान करना होगा.''.

2. नियम 7 के उपनियम (2) में, शब्द ''सक्षम अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''लोक सूचना अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

3. नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द ''30 दिवस'' के स्थान पर, शब्द ''एक सौ अस्सी दिवस'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

[illegible] शास्ति की रकम की वसूली हेतु प्रक्रिया

(एक) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किए [illegible] राज्य सूचना आयोग के पास जमा करेगा;

(दो) राज्य सूचना आयोग को शास्ति की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि सिविल न्यायालय में निहित हैं. सूचना आयोग, शास्ति की वसूली के लिए पृथक् मामला रजिस्ट्रांकित करके इस शक्ति के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा;

(तीन) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर अधिरोपित शास्ति की रकम जमा करने में असफल रहता है तो राज्य सूचना आयोग संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को [illegible] लोक सूचना अधिकारी [illegible] सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक [illegible] अधिरोपित शास्ति की रकम की वसूली के लिए रिपोर्ट करेगा. इस मामले में राज्य सूचना आयोग का आदेश संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी होगा;

(चार) यदि अधिरोपित शास्ति की रकम राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के वेतन से वसूल नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर उससे वसूल किया जाएगा.''.

4. नियम 3 के उपनियम (1) तथा (2), नियम 4, नियम 5 के उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) तथा नियम 7 के उपनियम (1) और नियम 8 के उपनियम (2) में, शब्द ''नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प'' के पश्चात् शब्द ''खजाना चालान की मूलप्रति'' अंतःस्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

एफ-11-37-05-सूअप्र-एक-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक [illegible]ना दिनांक 10 मार्च 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

Bhopal, the 10th March 2008

No. F 11-37-2005-I-9.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Right to Information (Fees and Apeal) Rules, 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rule 5,—

(i) In sub-rule (1), for the words "three days", the words "fifteen working days" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

(5) The Information sought by the applicant below poverty line under this Act shall be provided as under.—

[illegible] the applicant, then the Information shall be provided in the form, in which it is demanded, provided the Information is available in that from and would not be detrimental to the safety of the record in question:

(ii) if the Information sougth is not directly related with the applicant, but the Information is limited up to fifty pages (of A-4 size), then the photo copies of the Information sought shall be made available, provided that it would not be detrimental to the safety of the record in question.

(iii) if the Information sougth is not directly related with the applicant, and the Information is of more than fifty pages (of A-4 size), then after recording reasons under sub-section [illegible] the applicant [illegible] inspect the record file in the office and shall be requested to limit the Information.

(6) if the applicant wants printed reports and other materials published by the departments, they can be provided at the price fixed for such publications. Extracts from such publications can be provided as per rates fixed in sub-rule (1) of Rule 5.

(7) if under Right to Information Act, 2005 the applicant asks for such Information, where some other Act/Rules provides for separate fee for such Information, then the applicant has to pay such fees as provided under the corresponding Act/Rule.

2. In sub-rule (2) of Rule 7, for the words "Competent Officer", the words "Public Information Officer" shall be substituted.

[illegible] 6,—

[illegible] sub-rule (3), for the words "Thirty days" the words "one hundred eighty days" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Process for recovery of Penalty amount:—

(i) the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer shall deposit the imposed penalty in cash or in the form of bank draft or banker's cheque, with the State Information Commission within one month from the date of receipt of penalty order issued by the State Information Commission.

(ii) for revovery of penalty the State Information Commission under clause (f) of sub-section (3) of section 18 shall have the same powers, as are vested in a Civil Court. The Information Commission shall initiate the action under this power, by registering a separate case for recovery of penalty;

(iii) if the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer fails to deposit the imposed penalty amount within the prescribed time limit, then the State Information Commission shall report to concerned disciplinary authority for taking desciplinary action and for recovery of imposed penalty amount against the State Public Information Officer of the Sate Assistant Public Information Officer. In such cases, the order of the State Information Commission shall be binding on the concerned officer.

[illegible] if the imposed penalty amount [illegible] from the salary of the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer, than the same shall be recovered from him as arrear of land revenue.

[illegible] and [illegible] rule [illegible] and sub-rule (1) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 8, after the words "non-judicial stamp", the words "original copy of Treasury Challan" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. AGRAWAL, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.